उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर, देहरादून।

टेली नं.–0135–2728227, फैक्स नं. 2728226
वेबसाइट WWW.doiuk.org.E-mail-mpr@doiuk.org. www.investuttarakhand.com

राज्य के निम्नलिखित जनपदों में विभाग द्वारा स्थापित 6 मिनी औद्योगिक आस्थानों में विनिर्णमाणक (Manufacturing) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये आवंटन हेतु आवेदन आंमत्रित किये जाते हैः–

1 मिनी औद्योगिक आस्थान, बेतालघाट (नैनीताल)।
2 मिनी औद्योगिक आस्थान, कालेश्वर (चमोली)।
3 मिनी औद्योगिक आस्थान, भीमतल्ला (चमोली)।
4 मिनी औद्योगिक आस्थान, डुण्डा (उत्तरकाशी)।
5 मिनी औद्योगिक आस्थान, गणेशपुर गवांणा (उत्तरकाशी)।
6 मिनी औद्योगिक आस्थान, सरोठ (टिहरी)

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मई, 2016 से विभागीय औद्योगिक आस्थानों में रिक्त भूखण्डों/शैडों के आवंटन के लिये प्रख्यापित प्रक्रिया/नीति के प्राविधानों के तहत उपलब्ध भूखण्ड/शैडों के आवंटन के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। उक्त मिनी औद्योगिक आस्थानों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक आवेदनकर्ता उपलब्ध भूखण्डों के आवंटन के लिये अपना आवेदन, निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, को वेबसाईट **www.investuttarakhand.com.** में विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिनों के बाद ऑनलाईन कर सकते हैं। भूखण्ड आवंटन नीति–2016, आवेदन पत्र का प्रारूप, निर्धारित शुल्क का विवरण तथा भूखण्ड की दर, परियोजना रिपोर्ट हेतु सूचक प्रपत्र, आस्थानवार आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्ड/शैडों का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध है। **आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत एस.सी./एस.टी के लिये तथा 3 प्रतिशत दिव्यांगों के लिये आरक्षित रहेंगे।**

आवेदनकर्ता द्वारा भूखण्ड आवंटन नीति में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगेः–

1. विस्तृत प्रोजक्ट रिपोर्ट।
2. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने का विवरण।
3. बैंक द्वारा परियोजना के लिये स्वीकृत ऋण का स्वीकृति पत्र अथवा औपचारिक सहमति।
4. परियोजना के लिये वित्तीय श्रोतों/प्रबन्धन की जानकारी।
5. परियोजना के लिये अपेक्षित बिल्टअप ऐरिया का क्षेत्रफल सहित प्रस्तावित ले–आउट प्लान।
6. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होने के साक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
7. भूखण्ड आवंटन हेतु नीति में निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र में दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में उपलब्ध प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

उक्त वेबसाईट विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 60 दिन के लिये आवेदन हेतु खुली रहेगी। ऑनलाईन आवेदन करने के बाद आवेदक मैनुअल भी वेबसाईट पर अपलोड आवेदन पत्र की प्रति सभी अपेक्षित अभिलेखों/दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा कर देंगे अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विज्ञप्ति में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त सभी प्रर्थना पत्रों को क्रमानुसार ऑन लाईन प्रथम आवत–प्रथम पावत के आधार पर प्राप्ति की तिथि एवं समय सहित पंजिका तथा एम.एस.एक्सल में दर्ज किया जायेगा। भूखण्ड आवंटन के लिये प्राप्त आवेदनों पर मूल्यांकन के लिये निर्धारित मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग के क्रम में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति प्रख्यापित नीति के अनुसार निर्णय लेगी।

आवेदक उद्योग स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन के लिये आवेदन हेतु सहायता/मार्गदर्शन के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अथवा **www.investuttarakhand.com.** के **टोल–फ्री न0** 18002701213 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक उद्योग,
उत्तराखण्ड।